


कार्यालय जिला पंचायत - रतलाम

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2360 (तारांकित)

विधानसभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 फरवरी 2022 तक जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या जिन्होंने मनरेगा में काम मांगा	जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या जिनके द्वारा आवंटित कार्य पर उपस्थित होकर अकुशल भ्रम किया गया	रिमार्क
आलोट	19947	16589	मनरेगा एक्ट 2005 के धारा 7 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि कार्य की मांग आने के उपरांत 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है। जिले में इस अवधि में किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ते की स्थिति निर्मित नहीं हुई है।
जावरा	14178	11970	
रतलाम (ग्रामीण)	13738	10873	
सैलाना	43990	37227	
योग	91853	76659	




 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत - रतलाम

कार्यालय जिला पंचायत - रतलाम
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2360 (तारांकित)

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021 तक आर्थिक अनियमितता के प्रकरणों की जानकारी

क्र.	ज.पं.	ग्रा.पं.	प्रकरण का प्रकार/विवरण	की गई कार्यवाही	दिनांक	शिकायत की वर्तमान स्थिति	जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	जावरा	भैंसाना	ग्राम पंचायत भैंसाना में शांतिवन शेड निर्माण व समतलीकरण कार्य ग्राम भूट्टाखेडी एवं खेल मैदान निर्माण कार्य में अनियमितता	शिकायत की जांच में अनियमितता पाई जाने पर सचिव श्री राधेश्याम वरतिया, ग्रा.पं. भैंसाना को निलंबित किया गया तथा सरपंच श्री भेरूलाल पाटीदार से राशि रु. 201920/- एवं उपयंत्री श्री मोहम्मद तारिख रेहमान से राशि रु. 201920/- तथा सचिव श्री राधेश्याम वरतिया से राशि रु. 201918/- व ग्राम रोजगार सहायक श्री निर्भयराम पाटीदार से राशि रु. 92000/- कुल राशि रु. 697758/- का प्रकरण न्यायालय जिला पंचायत रतलाम में प्रचलित। वर्तमान में ग्राम पंचायत भैंसाना, जनपद पंचायत जावरा में पदस्थ श्री निर्भयराम पाटीदार, ग्राम रोजगार सहायक से 13000/-, श्री राधेश्याम वरतिया, सचिव 20000/- एवं श्री मोहम्मद तारिख रेहमान से 20000/- कुल राशि रु. 53000/- की वसूली की गई है।	2019-20	प्रकरण न्यायालय जिला पंचायत रतलाम में प्रचलित	ग्राम पंचायत भैंसाना के प्रधान, उपयंत्री, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक
2	जावरा	भैंसाना	ग्राम पंचायत भैंसाना में वृक्षारोपण एवं कपिलधारा कूप निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता	ग्राम पंचायत भैंसाना में कपिलधारा एवं वृक्षारोपण कार्य की जांच में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर महोदय जिला रतलाम द्वारा राशि रु. 210000/- की वसूली हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।	2021-22	प्रचलित	ग्राम पंचायत भैंसाना के प्रधान एवं ग्राम रोजगार सहायक
3	पिपलीदा	सुजापुर	ग्राम पंचायत सुजापुर में निर्माण कार्यों में अनियमितता	निर्माण कार्यों में अनियमितता कार्यवाही जांच उपरांत श्री दिपसिंह सोलंकी ग्राम रोजगार सहायक की सेवा आदेश क्रमांक 7/ज.प./18 दिनांक 02.01.2018 द्वारा सेवा समाप्त की जा चुकी है।	02/01/2018	निराकृत	श्री दिपसिंह सोलंकी ग्राम रोजगार सहायक निलम्बित किया गया है

गा.पं.	प्रकरण का प्रकार/विवरण	की गई कार्यवाही	दिनांक	शिकायत की वर्तमान स्थिति	जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	
पिपलौदा	बाराखेडा	ग्राम पंचायत बाराखेडा में भुगतान के संबंध में शिकायत	भुगतान के संबंध में शिकायत कार्यवाही जांच उपरांत श्री मुकेश गोवरी ग्राम रोजगार सहायक की सेवा आदेश क्र 1413/मनरेगा/2019 दिनांक 23.11.2019 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।	23/11/2019	निराकृत	श्री मुकेश गोवरी ग्राम रोजगार सहायक निलम्बित किया गया है।
पिपलौदा	चिपिया	खेत तालाब योजना एवं चिपिया से भाकरखेडी मार्ग में अनियमितता	खेत तालाब जालीनेर ग्राम पंचायत चिपिया कार्यवाही सचिव श्री अशोक सैन को जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 2991 दिनांक 27.06.2020 से निलम्बित किया गया था एवं ग्राम रोजगार सहायक को कार्य में लापरवाही हेतु 2000/- रुपये का अर्थदण्ड दिया गया जो उसके द्वारा डीडी नम्बर 661162 दिनांक 26.06.2020 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से जमा किया गया है।	27/06/2020	निराकृत	श्री अशोक सैन सचिव निलम्बित किया गया एवं दिनेश डिंडोडिया ग्राम रोजगार सहायक पर अर्थदण्ड लगाया गया।
रतलाम	जड़वासा कलां	ग्रेवल रोड जड़वासाकला से हतनारा मार्ग में वित्तीय अनियमितता	सचिव, ग्राम पंचायत जड़वासाकला श्री नानालाल सिंघानिया को निलंबित किया गया। प्रधान श्रीमती भगवता पाटीदार को कारण बताओ सूचना पत्र के उपरांत वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित।	2021-22	प्रचलित	सचिव एवं प्रधान, ग्राम पंचायत
रतलाम	पलसोडा	ग्राम पंचायत पलसोडा में सरपंच श्री कैलाश राठौड़ द्वारा पद का दुरुपयोग करने तथा अवैध खनन के संबंध में	जाँच में दोषी पाए जाने पर प्रधान ग्राम पंचायत पलसोडा श्री कैलाशचन्द्र राठौड़ को कलेक्टर महोदय द्वारा पद से पृथक किया गया	2021-22	प्रचलित	प्रधान, ग्राम पंचायत
वाजना	रानीसिंग	ग्राम पंचायत रानीसिंग में वित्तीय अनियमितता कर फर्जी बिल लगाकर राशि का गवन	जाँच उपरांत ग्राम पंचायत रानीसिंग के प्रधान श्री प्रेमजी गरवार को पद से पृथक किया गया, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।	2021-22	प्रचलित	प्रधान, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत
जावरा	लालाखेडा	विकासकार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने वावत्।	जाँच उपरांत दोषी पाए जाने पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1692 दिनांक 06/03/2020 द्वारा सचिव श्री लक्ष्मणसिंह राठौर, ग्राम पंचायत लालाखेडा को निलंबित किया गया।	2019-20	प्रचलित	सचिव, ग्राम पंचायत

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - रतलाम